न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 32/2019 दायरा दिनांक : **07.02.2019**

उनवान

हंसराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री गोपाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– शिवनारायण पुत्र मथुरा लाल, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

2– बिलासी बाई पुत्री मथुरा लाल, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

3– उमाशंकर पुत्र श्री कृष्णकान्त, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

4– जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवांसी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

5– बृजेश बेवा श्री कृष्णकान्त, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

7– रामेश्वरी पुत्र मथुरा लाल, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी सुन्दर जी की बगीची पुष्पकुंज बारां तहसील बांरा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दीनानाथ गालव एवं श्री कमलदीप सिंह हाडा

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : **24.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 72/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है । ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 702 रकबा 2.23 हेक्टर व खसरा नम्बर 774 रकबा 1.01 हेक्टर सम्वत 2044–63 की जमाबंदी में सिवाय चक काबिज काश्त दर्ज है । वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है । दिनांक 17.12.2018 को पटवार मण्ड़ल किशनपुरा, तहसील मांगरोल की रिपोर्ट है के अनुसार वादग्रस्त आरजी में वर्तमान रिकार्ड में शिवनारायण, रामेश्वर पुत्र मथुरा लाल वगैराह की खातेदारी में दर्ज होना बताया । वादग्रस्त आराजी के बाबत अपीलांट के नाम धारा 91 एल आर ए व धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये थे । मिसल नम्बर 163/2016 से अपीलांट ने इस भूमि की शास्ती 1932 रूपये जमा करवायी थी । इसी प्रकार मिसल नम्बर 134/2016 में भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट द्वारा फसल की गई है जिसकी पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं शास्ती की रसीदे पेश है । इस भूमि का साबिक खसरा नम्बर 598 मिन था जिसका मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत है । सम्वत 2073, 2072, व 2070 की खसरा परिवर्तनशील की नकलों में भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा साबित है । अपीलांट जाति से बैरवा है तथा रेस्पोडेंट सम्पन्न पैसे वाले व्यक्ति है । इसलिए तहसीलदार मांगरोल से मिली भगत करके डिक्री जारी की है, जो सर्वथा शून्य एवं आधारहीन है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी के बाबत अपना कब्जा होने के लिये सरकार में पैसे जमा करवाये हैं । सम्वत 2034 से 2037 की रेस्पोडेंट के पिता मथुरालाल पुत्र हीरालाल ब्राहमण की जमाबंदी पेश की जा रही है जिसमें उनकी भूमियां बतायी गयी है । नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बर 701,

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

702, 702/828, 702/827, 774, 772, 773 का भी पेश किया जा रहा है जिससे भी यह स्पष्ट है कि यहां पर रेस्पोडेंट के कब्जे की या खाते की वर्तमान में कोई भूमि नहीं है । उपरोक्त उनवान में अपीलांट पक्षकार नहीं था क्योंकि रेस्पोडेंट ने दुरभि संधि करके अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया था । इस कारण अपीलांट यह अपील अन्तर्गत धारा 96 दी. प्र. सं. के तहत पेश कर रहा है इसके लिये धारा 96 दी. प्र. सं. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश करके अपील पेश करने की अनुमति ले ली गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2018 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.01.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.07.2018 को डिक्री पारित की है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कर दी। अपीलांट ने कथन किया कि हमारा 10 साल से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.12.18 में हंसराज का कब्जा बताया गया है । धारा 91 के नोटिस भी हमें जारी हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय में बिना हमें पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया। अतः हमें पक्षकार बनाकर दावा स्वीकार कर रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हम पक्षकार नहीं थे। इन्होंने 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र केवल प्रभावित पक्षकार ही लगा सकता है । वादग्रस्त आराजी के ये अतिक्रमी है। वादग्रस्त आराजी सिवाय चक थी जो सैटलमेंट से पूर्व हमारे खाते में थी। रेस्पोडेंट नम्बर 1 सरकारी नौकरी में है वह गांव में निवास नहीं करते हैं। हंसराज पडौसी है जिसको वे वादग्रस्त आराजी पांति काश्त पर देते थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017(2) पेज

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1100, आर आर टी 2012 (1) पेज 332 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट वाद में पक्षकार नहीं था क्योंकि पक्षकार उसे बनाया जाता है जिस पर निर्णय व डिक्री होने पर प्रभाव पड़े । अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 702 रकबा 2.23 हेक्टर बजंड़ व खसरा नम्बर 774 रकबा 1.01 हेक्टर पर अपीलांट का यदि कब्जा भी है तो मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से है और कानून में अतिक्रमी को कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । जिन खसरा नम्बर 702 रकबा 1.23 हेक्टर व खसरा नम्बर 774 रकबा 1.01 हेक्टर का वादीगण रेस्पोडेंट को खातेदार बनाया गया है वह खसरा नम्बरों भू स्वामी तहसीलदार मांगरोल के खाते (सरकारी खाते) में दर्ज है । तहसीलदार मांगरोल वाद में पक्षकार है ऐसी स्थिति में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाना कानून के विरूद्ध है । धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र अपीलांट पर प्रभावी नहीं हैं । अपीलांट द्वारा एक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.12.2018 प्रस्तुत की है जो वाद की विषय वस्तु नहीं है क्योंकि वाद का निर्णय व डिक्री तथा दिनांक 26.07.2018 को ही पारित हो चुका थी इसलिए उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.12.2018 का कोई औचित्य नहीं है । धारा 91 व धारा 22 के नोटिस अतिक्रमी को ही दिये जाते हैं । प्रतिपक्षी अतिक्रमी को बेदखल किया जाता है, मात्र नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी पर प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेस्पोडेंट ने अपने खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 702/1010 रकबा 0.33 हेक्टर, व खसरा नम्बर 777 रकबा 1.19 हेक्टर को अपने खाते से खारिज करवा कर सिवाय चक दर्ज करवाया है तथा इसके बदले में खसरा नम्बर 702 रकबा 0.83 हेक्टर व खसरा नम्बर 774 रकबा 1.01 हेक्टर वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल की आराजी सिवाय चक से अपने खाते दर्ज करवा कर अपने खाते को सही करवाया है । अतः वाद में अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

हंसराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री गोपाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

..... **अपीलांट**

बनाम

1– शिवनारायण पुत्र मथुरा लाल, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
2– बिलासी बाई पुत्री मथुरा लाल, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
3– उमाशंकर पुत्र श्री कृष्णकान्त, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
4– जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
5– बृजेश बेवा श्री कृष्णकान्त, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां
7– रामेश्वरी पुत्र मथुरा लाल, जाति गालव (ब्राहमण) निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल हाल निवासी सुन्दर जी की बगीची पुष्पकुंज बारां तहसील बांरा जिला बारां

..... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **32/2019**
मु.द.नं0 **72/2018**

एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल**
निर्णय व डिकी दिनांक – **26.07.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह **03** सन् **2021**

हाजरी **श्री बी एल जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री दीनानाथ गालव एवं श्री कमलदीप सिंह हाडा** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.07.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)